

(1) अपील डिक्री / टी.ए. / 6289 / 2002 / सवाईमाधोपुर  
(2) अपील डिक्री / टी.ए. / 6303 / 2002 / सवाईमाधोपुर  
बजरंग पुत्र भूरा व अन्य बनाम गजानन्द पुत्र धन्ना

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
4.2.2020	<p style="text-align: center;"><b>खण्ड पीठ</b> <b>श्री शिखर अग्रवाल, सदस्य</b> <b>श्री सुरेन्द्र कुमार पुरोहित, सदस्य</b></p> <p><u>उपस्थित—</u> श्री मुकेश जैन, अभिभाषक अपीलांत श्री योगेन्द्र सिंह, अभिभाषक रेस्पोंडेन्ट</p> <p style="text-align: center;"><b>निर्णय</b></p> <p>उक्त दोनों अपीलें राजस्व अपील प्राधिकारी सवाईमाधोपुर द्वारा अपील संख्या क्रमशः 61/02 एवं 89/02 में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 18-10-2002 के विरुद्ध धारा 224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत की गई हैं। उक्त दोनों अपीलों की विवाद की विषय वस्तु एवं पक्षकारान समान होने से इनका निस्तारण एक ही निर्णय से किया जा रहा है। निर्णय की प्रति दोनों पत्रावलियों में संलग्न की जावे।</p> <p>संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी धन्ना ने स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रतिवादीगण रामदेवा आदि के विरुद्ध सहायक कलक्टर (मुख्यालय) सवाईमाधोपुर के न्यायालय में इस आशय का पेश किया कि वाद के पेरा संख्या 1 में वर्णित भूमि वादी की खातेदारी की भूमि है तथा वादी उक्त भूमि का लगान राज्य सरकार का अदा करता है। प्रतिवादीगण वादग्रस्त भूमि में जबरन कब्जा करना चाहते हैं। अतः प्रतिवादीगण को पाबंद किया जावे। इस पर प्रतिवादीगण ने जवाब दावा पेश किया तथा साथ में काउन्टर क्लेम भी पेश किया कि वादग्रस्त भूमि के आधे हिस्से में खातेदारी अधिकार घोषित कर वादी को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे। दावे व जवाब दावा के आधार पर तनकियात कायम कर गवाहान के बयानात लिये गये तत्पश्चात वादी की अनुपस्थिति के कारण वादी के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई तथा वादी के वाद को खारिज कर दिया। साथ में प्रतिवादी के</p>	

**(1) अपील डिक्री / टी.ए. / 6289 / 2002 / सवाईमाधोपुर**  
**(2) अपील डिक्री / टी.ए. / 6303 / 2002 / सवाईमाधोपुर**  
**बजरंग पुत्र भूरा व अन्य बनाम गजानन्द पुत्र धन्ना**

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
	<p>काउन्टर क्लेम को भी दिनांक 22-3-2002 को खारिज कर दिया। जिसके विरुद्ध वर्तमान अपीलांट्स बजरंगा आदि ने अपील संख्या 89/02 तथा वर्तमान रेस्पोंडेन्ट गजानन्द ने अपील संख्या 61/02 राजस्व अपील प्राधिकारी सवाईमाधोपुर के न्यायालय में पेश की। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने उक्त दोनों अपीलों को एक ही निर्णय दिनांक 18-10-2002 से निर्णित करते हुए अपील संख्या 89/02 को खारिज कर दिया तथा अपील संख्या 61/02 को स्वीकार करते हुए विचारण न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 22-3-2002 को निरस्त कर दिया। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा अपील संख्या 61/02 तथा अपील संख्या 89/02 में पारित निर्णय दिनांक 18-10-2002 के विरुद्ध अपीलांट्स ने इस न्यायालय के समक्ष अपील क्रमशः संख्या 6289/2002 एवं 6303/2002 प्रस्तुत की हैं।</p> <p align="center">उभय पक्ष की बहस सुनी गई।</p> <p>विद्वान अधिवक्ता अपीलांट्स ने बहस में कथन किया कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि विचारण न्यायालय के निर्णय तथा गवाहान के बयानात से स्पष्ट था कि वादग्रस्त आराजी के आधे भाग पर प्रतिवादी/अपीलांट तथा आधे भाग पर वादी/रेस्पोंडेन्ट काबिज काश्त होकर अपने-अपने भाग पर काश्त करते हैं, जिससे विचारण न्यायालय ने वादी का वाद सही खारिज किया था परन्तु अपीलीय न्यायालय ने वादी की अपील स्वीकार करने में भारी भूल की है। वादी एवं प्रतिवादी एक ही खानदान के व्यक्ति हैं तथा वादग्रस्त आराजी पर भूरया के वारिस तथा धन्ना 1/2, 1/2 भाग पर काबिज काश्त थे परन्तु राजस्व रेकार्ड में उक्त भूमि केवल धन्ना के चढ जाने से अपीलांट को बेदखल करना चाहता था किन्तु उक्त तथ्य की ओर अपीलीय न्यायालय ने ध्यान नहीं दिया। अधीनस्थ न्यायालयों ने इस तथ्य पर भी ध्यान नहीं दिया कि स्वयं वादी धन्ना ने अपने बयानों में यह स्वीकार किया था कि उक्त आराजी के आधे हिस्से पर प्रतिवादीगण</p>	

**(1) अपील डिक्री / टी.ए. / 6289 / 2002 / सवाईमाधोपुर**  
**(2) अपील डिक्री / टी.ए. / 6303 / 2002 / सवाईमाधोपुर**  
**बजरंग पुत्र भूरा व अन्य बनाम गजानन्द पुत्र धन्ना**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	<p>10-15 वर्षों से काबिज काश्त है तथा 50 सालों से प्रतिवादीगण जोतते आ रहे हैं। इससे स्पष्ट था कि वादीगण व प्रतिवादीगण उक्त आराजी के आधे भाग के हिस्सेदार थे इसलिए इसी अनुसार प्रतिवादी का काउन्टर क्लेम डिक्री करना चाहिए था। उनका यह भी कथन है कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने आदेश 41 नियम 31 सीपीसी की पालना नहीं की है एवं तनकीवार निर्णय पारित नहीं किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर भी ध्यान नहीं दिया कि लगान की रसीदे भी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हुई थी जिसमें कुछ रसीदे बजरंग के नाम है। इससे स्पष्ट था कि उक्त आराजी पुश्तैनी आराजी है, जिस पर वादी एवं प्रतिवादीगण आधे-आधे हिस्से पर काबिज हैं किन्तु इसे नजरअंदाज करते हुए प्रतिवादी का काउन्टर क्लेम खारिज कर दिया एवं जिसे यथावत रखने में अपीलीय न्यायालय ने भारी भूल की है। अतः अपील संख्या 6289/02 स्वीकार की जाकर राजस्व अपील प्राधिकारी का निर्णय दिनांक 18-10-2002 निरस्त करते हुए सहायक कलक्टर का निर्णय दिनांक 22-3-2002 यथावत रखा जावे। साथ ही अपील संख्या 6303/02 स्वीकार करते हुए दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय निरस्त किये जावें।</p> <p>विद्वान अधिवक्ता रेस्पोजेन्ट ने बहस में कथन किया कि पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य से वादग्रस्त आराजी धन्ना की खातेदारी की होना सिद्ध है। अपीलांत पक्ष द्वारा वादग्रस्त आराजी की पैतृक होने के संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने रेस्पोजेन्ट गजानन्द की अपील को स्वीकार करने एवं अपीलांत बजरंगा आदि की अपील को खारिज करने में कोई त्रुटि नहीं की है। उन्होंने अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय व डिक्री दिनांक 18-10-2002 को समुचित बताते हुए उक्त दोनों अपीलें खारिज करने का निवेदन किया।</p> <p align="center">बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।</p>	

**(1) अपील डिक्री / टी.ए. / 6289 / 2002 / सवाईमाधोपुर**  
**(2) अपील डिक्री / टी.ए. / 6303 / 2002 / सवाईमाधोपुर**  
**बजरंग पुत्र भूरा व अन्य बनाम गजानन्द पुत्र धन्ना**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	<p>वादग्रस्त आराजी का खातेदार धन्ना है, जो कि राजस्व रिकार्ड से भलीभांति परिलक्षित होता है। अपीलांट्स ने ऐसी कोई ठोस साक्ष्य हमारे समक्ष और ना ही अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश की है जिससे यह साबित हो सके कि वादग्रस्त आराजी के वह खातेदार काश्तकार हैं। केवल कुछ रसीदें जो कि एग्जीबिट डी-1 से डी-20 तक परीक्षण न्यायालय में पेश की हैं जिसमें बजरंगा के नाम की रसीदे हैं लेकिन अधिकांश धन्ना के नाम की रसीदे हैं। विवादित आराजी रेस्पों. गजानन्द के पिता धन्ना की स्वअर्जित आराजी है। परीक्षण न्यायालय के समक्ष प्रभु ने भी अपने बयान में यह बताया कि वादग्रस्त आराजी धन्ना की है और गिरदावरी / जमाबंदी में भी आराजी की खातेदारी धन्ना के नाम से दर्ज है। इस प्रकार यह आराजी पैतृक होना सिद्ध नहीं होता है।</p> <p>परीक्षण न्यायालय द्वारा धन्ना के वाद को यह कहते हुए खारिज कर दिया गया कि वादग्रस्त आराजी बैंक में रहन होने के कारण सहकारी भूमि विकास बैंक आवश्यक पक्षकार है दावा में बैंक को पक्षकार नहीं बनाने के कारण वाद आधारभूत कमियों से ग्रसित है आवश्यक पक्षकार दावे में संयोजन नहीं होने से वाद वादी खारिज किया जाता है। परीक्षण न्यायालय के उक्त निर्णय के विरुद्ध गजानन्द पुत्र धन्ना द्वारा अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई जिसे अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने स्वीकार किया, जो कानून की दृष्टि से एक न्यायिक निर्णय है और धन्ना का दावा इस हद तक स्वीकार योग्य था। साथ ही अपीलांट बजरंगा आदि द्वारा अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय में जो अपील प्रस्तुत की गई जिसे अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने विधिक तौर पर पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का देखते हुए अपील खारिज की है उसमें किसी प्रकार की कोई कानूनी त्रुटि नहीं की है, जिससे द्वितीय अपील के माध्यम से हस्तक्षेप किया जावे।</p> <p>उपरोक्त विवेचन के आधार पर उक्त दोनों अपीलें खारिज की जाती हैं तथा राजस्व अपील प्राधिकारी सवाईमाधोपुर द्वारा</p>	

(1) अपील डिक्री / टी.ए. / 6289 / 2002 / सवाईमाधोपुर  
(2) अपील डिक्री / टी.ए. / 6303 / 2002 / सवाईमाधोपुर  
बजरंग पुत्र भूरा व अन्य बनाम गजानन्द पुत्र धन्ना

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	<p>प्रकरण संख्या 89/02 एवं 61/02 में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 18-10-2002 बहाल रखे जाते हैं। तहत का अभिलेख लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।</p> <p>निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p> <p>(सुरेन्द्र कुमार पुरोहित) सदस्य</p> <p>(शिखर अग्रवाल) सदस्य</p>	